न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 102/18 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2018/00167

उनवान

1. अब्दुल रहीम
2. अब्दुल करीम

} पुत्रान नूरमौहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम अकाता तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. सकीला पत्नी नूरमौहम्मद पत्नी रियासत अली, ग्राम हाथिया तहसील छाता जिला मथुरा (उ.प्र.)

.....असल रेस्पोडेन्ट्स

2. मौहम्मद हसन पुत्र पप्पू कौम मेव निवासी ग्राम अकाता तहसील कामां जिला भरतपुर।
3. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा कामां जिला भरतपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 167/2015 बउनवानी सकीला बनाम अब्दुल रहीम में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2018 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट्स श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 11.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा मु.स. 167/2015 बउनवानी सकीला बनाम अब्दुल रहीम में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2018, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट असल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया था कि विवादित आराजी वर्णित वादपत्र मद सं. 2 वाके ग्राम धिलावटी एवं मद सं. 3 वाके ग्राम अकाता तहसील कामां को मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी मुत0 के कुर्रेजात कायम कराकर राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाता कायम किया जाकर पृथक–पृथक राज. लगान निर्धारित की जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलबी कराई गई। जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट धिलावटी पर पेश कर दिनांक 25.05.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सोनीराम शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट बाबजूद तामील अनुपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तारीख पेशी 25.01.2018 बहस कानूनी तनकी के लिये नियत की गई थी लेकिन उस दिन पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण तारीख पेशी 12.03.2018 नियत की गई लेकिन दिनांक 12.03.2018 को भी पद रिक्त होने के कारण बहस तनकी हेतु दिनांक 25.04.2018 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2018 को तनकी पर बहस नहीं सुनी गई और पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट धिलावटी में तारीख 25.05.2018 नियत कर दी गई लेकिन इस बाबत कोई नोटिस किसी भी पक्षकार को नहीं दिया गया। राजस्व कैम्प कोर्ट धिलावटी में दिनांक 25.05.2018 को अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में पूर्व ऑर्डर शीटों पर ध्यान दिये बिना वादिनी रेस्पोडेन्ट सं. 1 का दावा खिलाफ कानून प्राथमिक डिक्री कर दिया गया। जो कानून के विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम एवं तनकीयात पर गौर किये बिना ही मनमाने तरीके से जैर अपील निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकी कायम की गई थी लेकिन न्यायालय तहत का निर्णय तनकी वार नहीं है जो कानून के विरुद्ध है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर साक्ष्य तक नहीं ली गई है ऐसी स्थिति में दावा गलत डिक्री किया गया है। इन्द्राज राजस्व अभिलेख में पिता नूरमौहम्मद की मृत्यु के बाद गलत अंकित किये गये जिस बाबत् अपीलान्ट्स द्वारा अपने काउन्टर क्लेम में एतराज किया है। अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम कानूनी तनकी का निर्णय करना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में दावा वादिनी रेस्पोडेन्ट गलत व खिलाफ कानून प्राथमिक डिक्री कर दिया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां कैम्प कोर्ट धिलावटी द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2018 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

6. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2018 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 09.07.2018 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट असल ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी वर्णित वादपत्र मद सं. 2 वाके ग्राम धिलावटी एवं मद सं. 3 वाके ग्राम अकाता तहसील कामां को मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी मुत0 के कुर्रेजात कायम कराकर राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाता कायम किया जाकर पृथक–पृथक राज. लगान निर्धारित की जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलबी कराई गई। तद्उपरान्त अधीनस्थ न्यायलय ने पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट धिलावटी पर पेश कर दिनांक 25.05.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की दी।

अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके बाद आदेशिका दिनांक 30.07.2015 में यह अंकित किया गया कि वादनी वकील उप.। सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन की जाकर पत्रावली दिनांक 08.09.2015 को पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.11.2016 में यह अंकित किया गया कि पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उप.। वादी अभिभाषक द्वारा जबाब काउन्टर क्लेम के लिए समय चाहा। वास्ते जबाब काउन्टर क्लेम दिनांक 12.01.2017 को पेश हो। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.05.2017 के अनुसार पत्रावली में तनकीयात कायम की गई। किन्तु उक्त तनकीयात का निर्णय न करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 25.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट धिलावटी पर पेश की जाकर उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई किन्तु आदेशिका से यह कही प्रकट नहीं होता है कि उभयपक्षों की ओर से प्रकरण को लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कोई सहमति व्यक्त की गयी हो और विधि स्पष्ट है कि विधि सेवा प्राधिकारी अधिनियम के तहत लोक अदालत में किसी प्रकरण के राजीनामा के आधार पर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र तब पैदा होता है जब उभयपक्षों की सहमति से प्रकरण को लोक अदालत में रैफर किए जाने का आदेश किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को उभयपक्षों की सहमति से लोक अदालत को रैफर किया हो। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर पक्षकारों की ओर से कोई राजीनामा या सहमति का भी कोई दस्तावेज भी मौजूद नहीं है जिससे प्रकट होता हो कि राजीनामा के आधार पर या सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत द्वारा किया गया हो और आदेशिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सभी पक्षकारान मौजूद भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम तो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2018 लोक अदालत कैम्प धिलावटी द्वारा राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तहसीलदार भूमिधारी की तामील कराये एवं बिना सूचना दिये लोक अदालत कैम्प धिलावटी में पत्रावली रखी जाकर उसका निस्तारण केवल लोक अदालत में अपने द्वारा निस्तारित प्रकरणों की संख्या बढ़ाने के लिए ही किया गया है। जबकि बंटवारे के दावे में भूमिधारी तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होते हैं उनको तामील ही नही करवाई गयी है तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.05.2017 के अनुसार पत्रावली में तनकीयात कायम की गई है तो अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि उभयपक्ष की दावा व जबाबदावे के आधार पर कायम की गई तनकीयात का विस्तृत विवचेन करते हुए तनकीवार प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित करने के उपरान्त प्राथमिक डिक्री जारी करनी चाहिए थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयों का विवेचन न करते हुए सीधे ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। जो विधिसम्मत नहीं है। यदि कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है एवं विशेष तरीके से करने की प्रक्रिया भी तय की गयी है तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हम यह उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमिधारी तहसीलदार की तलबी कराई जाकर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

उभयपक्षों की समुचित सुनवाई हेतु पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है। आलौच्य अपील में उक्त प्रकरण विधिवत कानून की पालन न करने का ठोस आधार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2018 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के क्रम में विधिवत रुप से उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए साक्ष्य सबूत लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से प्राथमिक डिक्री पारित करें।
9. निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
10. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
11. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर